फ़ाइल संख्या 1-14002/7/2022-एआईसी

भारत सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(दिव्यांगजन)

पंचम तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 07.07.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पैनलबद्ध वेब एक्सेसिबिलिटी ऑडिटरों की सूची।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिनांक 04.02.2025 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 10 वेब एक्सेसिबिलिटी ऑडिटरों को पैनलबद्ध किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित एजेंसियों को भी 07.07.2025 से 05 वर्ष की अवधि के लिए विभाग द्वारा वेब एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

क्रम संख्या:	संस्था का नाम	ईमेल	पता	फ़ोन नंबर
1	सामर्थ्यम (सार्वभौमिक सुगम्यता केंद्र)	samarthyamindia@gma il.com	B-175 (G.F.), मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015, भारत	+91-9810558321. 9811133547, +91-11-35972250
2	साक्षी इन्फोटेक सॉल्यूशंस एलएलपी	info@sakshiinfotech.co m	401 आनंद आश्रम, 14 रोड, खार जिमखाना के पास, खार (पश्चिम) मुंबई-400052 महाराष्ट्र	+91-9821110939, 022-44588532
3	पिवटल एक्सेसिबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	ajay@pivotalaccess-ibili ty.com	B-1/401, जनकपुरी, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110058	+91-9971061193

4	4 सूचना प्रौद्योगिकी गुणवत्ता प्रमाणन और अनुसंधान (आईटीओसीआर)	info@itqer.com	सी-202, इन्फोटेक पार्क, टावर नंबर-8, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614 महाराष्ट्र, भारत	+91-22-40129669/2756-6409/2756-6410

2. यह ध्यान देने योग्य है कि उपर्युक्त सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों को संबंधित विभाग/संगठन/अंतिम उपयोगकर्ता अपने विवेक और जिम्मेदारी के अनुसार अपने कार्य/कार्यों के लिए चुन सकते हैं। सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, कार्य/कार्यों के आवंटन आदि से संबंधित सभी विशिष्ट नियम और शर्तें सेवा चाहने वालों और सेवा प्रदाताओं के बीच मौजूदा कानून और नियमों तथा अन्य अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार तय की जानी हैं।

3. सूचीबद्धता निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है:-

1 कार्यक्षेत्र:

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) के साथ वेब सुगम्यता में सूचीबद्ध एक्सेस ऑडिटरों की जिम्मेदारी दिव्यांगजनों के लिए वेब एप्लिकेशन की सुगम्यता का आकलन और मूल्यांकन करना होगा। सूचीबद्ध एक्सेस ऑडिटरों के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं:

i. वेबसाइटों का सुगम्यता ऑडिट, जिसमें उनकी
डिज़ाइनिंग, नेविगेशन में आसानी, दृश्य संकेतकों का उपयोग, कंट्रास्ट और रंग, स्क्रीन रीडर के लिए छवि के लिए पाठ विकल्पों की उपलब्धता आदि शामिल हैं, ताकि आरपीडब्ल्यूडी नियमों के नियम 15 के तहत अधिसूचित सुगम्यता मानकों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

ii. विभिन्न वेब अनुप्रयोगों पर सुगम्यता सुविधाओं की स्थिति का दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग।

iii. गैर-अनुपालन वाले क्षेत्रों को उजागर करते हुए और सुधारात्मक उपाय सुझाते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करना।

iv. डीईपीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर सुगम्यता आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वेब अनुप्रयोगों के डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव में शामिल हितधारकों के लिए प्रशिक्षण सत्र या कार्यशालाएँ आयोजित करना।

v. अनुशंसित उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रभावी रूप से शामिल किए गए हैं और वेब सुगम्यता मानकों को पूरा करते रहें।

vi. निरंतर व्यावसायिक विकास के माध्यम से वेब सुगम्यता मानकों और विनियमों में बदलावों के बारे में अद्यतन रहना।

दिव्यांगजनों के लिए अधिक समावेशी और सुलभ वातावरण के निर्माण में योगदान देने के लिए, पैनलबद्ध अभिगम लेखा परीक्षकों के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPWD) और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। विभाग और लागू कानूनी ढाँचे द्वारा उल्लिखित विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य का दायरा भिन्न हो सकता है।

II दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPWD) का विवेकाधिकार:

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अपने विवेकाधिकार से और बिना किसी दायित्व या दायित्व के, किसी भी समय संगठन/व्यक्तियों का वेब सुगम्यता लेखा परीक्षक के रूप में पैनलबद्धकरण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि प्रस्तुत कार्य और जानकारी असंतोषजनक पाई जाती है।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(Ram Charan Meena)
भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में: सभी सूचीबद्ध वेब एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर (जैसा कि ऊपर सूचीबद्ध है)

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि:

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
3. सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ पीपीएस
4. एएस (एमकेएन), डीईपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ पीपीएस
5. डीईपीडब्ल्यूडी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एनआईसी
6. सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने हेतु मीडिया सेल।